

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी-कमर चौधरी

आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 26/2010 प्रा०पत्र.14(4) आवंटन नियम 1970



सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

सरदार सिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम बीरासना तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970

उपस्थित-1. श्री चन्दर सिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 28.6.2023



संक्षिप्त वृत्तांत प्रा० पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.5.2000 को ग्राम बीरासना तहसील दौसा के आ०ख०नं० 781/856 रकबा 0.33 है. एवं खसरा नंबर 789/951 रकबा 0.25 है. कुल किता 2 रकबा 0.58. है० भूमि का आवंटन अप्रार्थी सरदार सिंह को किया गया था। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प नांगल चापा द्वारा अप्रार्थी सरदार सिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी बीरासना को ग्राम बीरासना में दिनांक 19.5.2000 को खसरा नंबर 781/856 रकबा 0.33 है. एवं खसरा नंबर 789/951 रकबा 0.25 है. कुल किता 2 रकबा 0.58. है० भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने से आदिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन तिथि से आज दिन तक आवंटित भूमि में किसी प्रकार की काश्त नहीं की है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों के अनुरूप आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी अप्रार्थी को आर-2 अलग-2 समय में आवाज दिलवाई गई किन्तु उनके अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प नांगल चापा द्वारा दिनांक 19.5.2000 को अप्रार्थी सरदार सिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी बीरासना को ग्राम बीरासना स्थित आराजी खसरा नंबर नंबर 781/856 रकबा 0.33 है. एवं खसरा नंबर 789/951 रकबा 0.25 है. कुल किता 2 रकबा 0.58. है० भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में सलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2061 से 2064 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

:: 2 ::

हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से हम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.5.2000 को अप्रार्थी सरदार सिंह को आवंटित की गई भूमि का आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप बीरासना की बैठक दिनांक 19.5.2000 के द्वारा ग्राम बीरासना में अप्रार्थी सरदार सिंह पुत्र रामप्रताप गुर्जर के पक्ष में खसरा नंबर नंबर 781/856 रकबा 0.33 है। एवं खसरा नंबर 789/951 रकबा 0.25 है। कुल किता 2 रकबा 0.58 है। किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक: 28 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा